ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर अपील नं. 55/2019 किस्म 225 आर.टी.एक्ट. बअनवान चिमाराम वगै. बनाम वीराराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

09.04.2021

पीठासीन अधिकारीः— श्री अरविन्द कुमार जाखड़ आर.ए.एस.

उपस्थितः— श्री सुनिल बी.एल. रामावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
श्री बालाराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से
श्री सुखदेव अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 16 की ओर से

निर्णय

दिनांक 09.04.2021

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 40/2018 बअनवान वीराराम बनाम खेताराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 19.08.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 310, 312 मौजा शिव तहसील शिव जिला बाड़मेर में अवस्थित है जिससे लगते विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 307, 312, 408 प्रार्थीगण के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ते हैं। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण के सड़क तक आवागमन के लिये इकलौता विकल्प यही रास्ता है जिसकी उन्हें अत्यधिक आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में आदेश दिनांक 19.08.2019 करते समय तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को अनदेखा करते हुए इसे पारित किया है जिसमें कानूनी व वाक्याती भूल की है, जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को पक्षकार के रूप में संयोजित किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश अपीलांटगण के खिलाफ एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज होने के पश्चात पुनः आवेदन बरामद होने पर पक्षकारों को किसी प्रकार के नोटिस जारी नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टगण/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए अपीलाधीन प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रारता उपलब्ध नहीं है। रेरपोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवष्यकता है। रारता रेरपोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 16 ने बहस करते हुए बताया कि हस्तगत अपील को स्वीकार किया जाता है तो हमें किसी प्रकार की कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को पक्षकार के रूप में संयोजित कर सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आलोच्य आदेश अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। हस्तगत आवेदन दिनांक 04.06.2019 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई तथा पुनः बरामद होने पर आवेदन के पक्षकारों किसी प्रकार के कोई नोटिस जारी नहीं कर अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 40/2018 बअनवान वीराराम बनाम खेताराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 19.08.2019 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेक्षित करे हुए आदेश दिये जाते है कि अपीलांटगण को पक्षकार के रूप में संयोजित कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेष आज दिनांक 09.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर